न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./163/2022

हकमुद्दीन पुत्र रहमत जाति मेव निवासी ग्रांम गंगोरा तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–सददाम हुसैन पुत्र अख्तर हुसेन । जाति मेव निवासी ग्रांम मंगोरा तहसील
2–समीम अहमद पुत्र अख्तर हुसेन । पहाडी जिला भरतपुर
3–मुख्यतार अहमद पुत्र अख्तर हुसैन।

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध नायव तहसीलदार पहाडी श्री रमेशचंद वर्मा बाबत भरे जाने दा0खा0 नम्बर नामालूम ग्रांम गंगोरा तहसील पहाडी को निर्णय उपखण्ड अधिकारी पहाडी दिनांक 7.6.2022 मुकदमा सददाम बनाम हकमुददी न0 36/2019 के आधार पर मंजूर किया जार है अन्तर्गत धारा 35 ———

उपस्थितः–
1–श्री पंकज कुमार,, अभिभापक प्रार्थी,
2–श्री मोहन सिंह राना, अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय दिनांक 28.9.2022

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक दावा सददाम हुसेन बनाम हकमुददीन नम्बर 36/2019 अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया गया था इस निर्णय के खिलाफ एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पेश की गई है पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी ने तलब कर ली गई है फिर भी तहसीलदार पहाड़ी श्री रमेशचन्द वर्मा पटवारी पर दवाब डालकर कुरे मंगवाकर निर्णय का अमल करने पर आमादा है, सम्बन्ध में नायव तहसीलदार के समझ आपत्ति की परन्तु वे दाखिल खारिज मंजूर करने पर आमादा है। नायव तहसीलदार से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस लिये विचाराधीन दाखिल खारिज नम्बर नामालूम को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०.

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी0 की तलब की गई एवं एस.डी.ओ. कांमा से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश हुआ शामिल मिसिल किया गया। नायव तहसीलदार पहाडी से प्राप्त टिप्पणी पत्र क्रमांक राजस्व/2022/443 दिनांक 29.7.2022 शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन करते कहा कि उसके प्रार्थना पत्र अंकित कथन ही उसकी बहस हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने भी अपने जबाब में अंकित तथ्यों को ही बहस शुमार किये जाने प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं अप्रार्थी0 की ओर से प्रस्तुत जबाब का अध्ययन किया गया। नायव तहसीलदार पहाडी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने जुबानी आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके जुबानी आरोपों की पुष्टी होती हो। प्रार्थी का उद्वेश्य विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–9–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर